

अति आवश्यक

समयबद्ध

संख्या:- शिक्षा-उच्चतर(21)बी(15)15/2018-वी.भाग-।

शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),

हिमाचल प्रदेश, शिमला-1

Tel:0177&2653120, Extn-234\_E-mail:genbr@rediffmail-com, Fax:2812882

दिनांक

शिमला-1

दी

अक्तुबर,2018

सेवा में

1. समस्त उप-निदेशक (उच्चतर शिक्षा),  
हिमाचल प्रदेश
2. समस्त प्रधानाचार्य/मुख्यध्यापक,  
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक/ उच्च विद्यालय,  
हिमाचल प्रदेश

विषय:-

स्वर्णिम हिमाचल पत्र के अन्तर्गत "अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती" योजना के दिशा निर्देशों के अनुमोदन बारे।

उपरोक्त विषय पर, इस निदेशालय के पत्र संख्या सम दिनांक 26-07-2018 (प्रति संलग्न) के सन्दर्भ में, जिसमें सरकार द्वारा स्वर्णिम हिमाचल के अन्तर्गत "अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती" योजना के कार्यान्वयन हेतु जारी किये गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने बारे आदेश जारी किये गए थे।

इस सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा इस योजना का शुभारम्भ दिनांक 08-10-2018 को अपने गृह जिला मण्डी से किया जाएगा। अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि अपने-अपने शिक्षण संस्थानों में संलग्न प्रपत्र अनुसार गौरव पट्ट को दिनांक 07-10-2018 अपराहन तक स्थापित करना सुनिश्चित करें।

इसी तरह समस्त जिला के उप-शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा, को आदेश दिये जाते हैं कि अपने-अपने जिला की समस्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं और राजकीय उच्च पाठशालाओं में दिनांक 07-10-2018 तक संलग्न प्रपत्र अनुसार गौरव पट्ट को स्थापित करना सुनिश्चित करें/ करवायें।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें।



(मोहन लाल आजाद),

अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल)

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हिमाचल प्रदेश

शिमला-1

अक्तुबर, 2018

01 OCT 2018

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक शिमला-1  
प्रतिलिपि सुचनार्थ एवम आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
2. तकनीकी अधिकारी, अभिकलित्र कक्ष, को पत्र को विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने बारे।
3. रक्षक नस्ति।

  
अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल),  
हिमाचल प्रदेश

संख्या-- शिक्षा--उच्चतर(21)वी(15)15/2018--वी 26 JUL 2018  
 शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),  
 हिमाचल प्रदेश, शिमला-1  
 Tel:0177&2653120, Extn-234, E-mail:genbr@rediffmail-com, Fax 2812882

दिनांक शिमला--1 दी जुलाई, 2018

सवा में

समस्त उप-निदेशक (उच्चतर शिक्षा),  
 हिमाचल प्रदेश

विषय:-

स्वर्णिम हिमाचल पत्र के अन्तर्गत "अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती" योजना के दिशा निर्देशों के अनुमोदन बारे।

उपरोक्त विषय पर, सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, से प्राप्त पत्र संख्या:ई0डी0एन0-वी-छ(10)9/2012-1-लूज दिनांक 03-07-2018, जिसमें उन्होंने स्वर्णिम हिमाचल के अन्तर्गत "अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती" योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देशों की स्वीकृति प्रदान की है और उस पर आवश्यक कार्यावाही करने बारे चाहा है :-

- (क) सम्बन्धित स्कूल इस योजना का प्रारम्भ स्थानीय जन प्रतिनिधि से करवाएंगे। प्रथम प्राथमिकता वर्तमान विधायक की ही रहेगी।
- (ख) यदि किसी स्कूल से उस क्षेत्र के वर्तमान सांसद भी छात्र रहें हों तो उस दृष्टि से सांसद की प्राथमिकता रहेगी। वर्तमान सांसद व (निवर्तमान भी) विधायकों के अतिरिक्त कोई भी विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त हस्ती का नाम उस स्कूल की स्कूल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
- (ग) प्रत्येक अनुमोदन प्राप्त हस्ती द्वारा "अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती" के गौरव पट्ट पर नाम सम्मिलित करवाने का हक है। स्कूल प्रबन्धन समिति अपने स्तर पर उन महानुभावों का नाम सम्मिलित कर सकती है जिन्होंने कोई गौरवमय उपलब्धि हासिल की हो।
- (घ) इस सभी उपलब्धियों को अलग से स्कूल या स्कूल के बाद विभाग द्वारा Document किया जाएगा।

अतः उपरोक्त स्थिति को मध्यनजर रखते हुए आपको आदेश दिये जाते है कि मामले में भदवार तदानुसार कार्यवाही करें और की गई कार्यवाही से इस निदेशालय को अवगत करवायें।

— ६२-११० —

(दीक्षा मल्होत्रा),  
 संयुक्त शिक्षा निदेशक (महा0),  
 हिमाचल प्रदेश

शिमला-1 26 जुलाई, 2018

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक  
 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2, को उनके उपरोक्त वर्णित पत्र संख्या व दिनांक के सन्दर्भ में।
2. रक्षक नरिस।

संयुक्त शिक्षा निदेशक (महा0),  
 हिमाचल प्रदेश

